निर्णय ब इजलास जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 124/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ईश्वर पुत्र स्व.श्री गुल्लाराम जाति बलाई निवासी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 श्री बजरंग लाल स्वामी आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर

2 रामनारायण पुत्र गोरधन

3 रेवड राम पुत्र गोरधन

जाति बलाई निवासी कीरो की ढाणी, ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

4 कल्याण पुत्र महादेव

5 गुल्लू पुत्र महादेव

6 छाजू पुत्र रामपाल

7 ज्याना पत्नी स्व. श्री झूंथा

8 नैना पत्नी स्व.श्री रामपाल

9 पूरया पुत्र श्री धन्ना

10 भंवर लाल पुत्र रामपाल

11 मंगल पुत्र महादेव

12 मूलचन्द पुत्र मांग्या

13 रेवड पुत्र झूंथा

14 रामफूल पुत्र झूंथा

15 रामसहाय पुत्र गोरधान

16 लक्ष्मीनारण पुत्र महादेव

17 लाल चन्द पुत्र बाबूलाल

18 सीताराम पुत्र बाबूलाल

19 कपूर चन्द पुत्र प्रभू

20 कल्याण दत्तक पुत्र सूखला

21 सीताराम पुत्र श्री गुल्लाराम

22 रोशन पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर

23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी पी सी एवं 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
जयपुर

आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 108/2023 ब उनवानी दाखा व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी रामजीलाल वर्मा स्वयं उपस्थित है ।
2. श्री राहुल कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 108/2023 ब उनवानी दाखा व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल कुमाव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि शाहपुरा कोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2 रामनारायण का लडका नरेश नौकरी करता है तथा शाहपुरा कोर्ट से अब एस डी एम आमेर की अदालत में आया है । इसलिए प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय की कतर्द उम्मीद नहीं है। प्रतिवादी रामनारायण का लडका नरेश खुले रूप से वादी को धमकी देता है कि पी ओ साहब मेरे मिलने वाले है, इसलिए उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने दूंगा तथा फैसला अपने पक्ष में करवा कर रहूंगा। पीठासीन अधिकारी भी यह कहते है कि स्टॉफ का मामला है इसलिए स्टॉफ के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 रामनारायण का पुत्र नौकारी करता है इसलिए प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।
8. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 108/2023 ब उनवानी श्रीमती दाखा व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।
9. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
10. निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर